आखिरी जांच: 26 अक्टूबर 2026 · Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board, Labour Department

# Scheme for Mentally Challenged or Disabled Children, Rule 299 (Himachal Pradesh BOCW Welfare Board)

बोर्ड पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मानसिक रूप से मंद या अपंग बच्चों की देखभाल के लिए सालाना रकम देता है।

## क्या मिल सकता है

सदस्य के मानसिक रूप से मंद या अपंग बच्चे की देखभाल के लिए हर साल 20,000 रुपये दिए जाते हैं।

## किसके लिए है

हिमाचल प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनका कोई बच्चा मानसिक रूप से मंद या अपंग है।

## मुख्य शर्तें

- श्रमिक का कोई बच्चा मानसिक रूप से मंद या अपंग हो।
- श्रमिक हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो और अंशदान नियमित जमा करता रहे।
- पंजीकरण के लिए आयु 18 से 60 साल हो और पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन भवन या निर्माण का काम किया हो।
- सहायता लेने के लिए हर साल 90 दिन के काम की मजदूरी पर्चियां श्रम कार्यालय में जमा करनी होती हैं।

## दस्तावेज़

- हर साल 90 दिन के निर्माण कार्य की मजदूरी पर्चियां

## आवेदन कैसे करें

1. अपने इलाके के श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में या बोर्ड के पोर्टल पर निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण कराएं और अंशदान नियमित जमा करें।
2. इस लाभ का आवेदन उसी श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में भेजें, या पोर्टल के 'Apply For Benefits' पेज पर अपनी लाभार्थी आईडी से आवेदन करें।
3. हर साल की मजदूरी पर्चियां और कार्यालय जो और कागज मांगे वे साथ लगाएं, फिर कार्यालय से आवेदन की स्थिति पूछते रहें।

## स्थिति

चालू

**आधिकारिक स्रोत:** https://bocw.hp.gov.in/index.aspx
**आधिकारिक आवेदन:** https://bocw.hp.gov.in/PublicPages/ApplyForSchemes.aspx
**Labh Lo पेज:** https://labhlo.in/hi/schemes/himachal-pradesh/hp-bocw-mentally-disabled-children-care/

**Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।**
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।